

स्थानीय स्वशासन हेतु क्षमतावर्द्धन परियोजना  
**Capacity Development for Local Governance [CDLG] Project**

वार्षिक रिपोर्ट

मई 2009 से दिसंबर 2009 तक



महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, अधारताल, जबलपुर (म.प्र.)

फोन नं. : 0761-2681864, 2681870,

ईमेल आईडी : [mgsirdmgsird@yahoo.com](mailto:mgsirdmgsird@yahoo.com)

वेबसाइट : [www.mgsird.org](http://www.mgsird.org)



Government of India



सहयोग : पंचायत राज मंत्रालय एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, नई दिल्ली

# अनुक्रमणिका

<u>विवरण</u>	<u>पेज नं.</u>
पृष्ठभूमि	2-3
परियोजना के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियां	4
प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट	5
परियोजना के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण	6
1. रिव्यू ऑफ प्रीवियस टीएनए एंड टू फाईड इट्स न्यू एप्रोचेस – कार्यशाला	6-7
2. पंचायतीराज प्रतिनिधियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का आंकलन कार्यशाला (महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जबलपुर)	8
3. पंचायतीराज प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का आंकलन कार्यशाला (जिला पंचायत खंडवा)	9-10
4. "पंचायत प्रतिनिधि/सदस्य/पदाधिकारी/स्वयंसेवी संस्था के सदस्यों का शैक्षणिक भ्रमण" दीनदयाल शोध संस्थान, चित्रकूट	11-12
5. आरसेटी कार्यशाला	13
6. मॉड्यूल विकास कार्यशाला	14
7. परामर्शदाताओं की नियुक्ति	15
8. प्रशिक्षण सामग्री का मुद्रण	15
परिशिष्ट क्र. 1 : वार्षिक कार्ययोजना 2009	16-18
परिशिष्ट क्र. 2 : छायाचित्र	19-22

## महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जबलपुर में संचालित स्थानीय स्वशासन हेतु क्षमतावर्द्धन (सीडीएलजी) परियोजना

### सीडीएलजी परियोजना की पृष्ठभूमि

73 वें तथा 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने त्रिस्तरीय पंचायतीराज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इस अधिनियम ने स्थानीय स्तर पर पंचायतों को और अधिक अधिकार प्रदान किये तथा विकास कार्य एवं योजनाओं में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की। अधिनियम के लागू होने के पश्चात् भारत सरकार स्थानीय स्वशासन तथा विकेन्द्रीकृत योजनाओं में पंचायतीराज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका पर अत्यधिक ध्यान दे रही है जिससे सेवा प्रदान करने में पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता बनाई जा सके। इस हेतु पंचायतीराज संस्थाओं तथा स्थानीय शहरी निकायों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है जिससे वांछित परिणाम प्राप्त हो सकें। इन संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के पीछे यह सोच है कि :-

1. वर्तमान में जो सामाजिक असमानता है उसे क्षमता वर्धन के द्वारा दूर करना।
2. नव-निर्वाचित पंचायत राज सदस्यों के अनुभव तथा कुशलता को पुनःसंदर्भित करना तथा उन्हें सही जानकारी प्रदान करना।
3. स्थानीय नेताओं का समूह तैयार करना जो समाज के लिये उत्प्रेरक का काम कर सकें।
4. शासकीय कर्मचारियों का उन्मुखीकरण करना जिससे शासकीय कार्य प्रभावी तरीके से किये जा सकें।


उपरोक्त आवश्यकताओं को तथा यूएनडीपी की 2007 की गर्वनेन्स ऑउटकम ईवेल्यूशन रिपोर्ट को देखते हुए यह महसूस किया गया कि यूएनडीपी की भविष्य की योजना स्थानीय स्वशासन के क्षमतावर्द्धन से संबंधित होनी चाहिये। इसी संदर्भ में पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार तथा यूएनडीपी द्वारा यूनाइटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट असिसटेन्स फ्रेमवर्क (यूएनडीएफ) राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में एक परियोजना स्थानीय स्वशासन हेतु क्षमतावर्द्धन (सीडीएलजी) की शुरुआत की। इस परियोजना में यूएनडीपी के क्षमता विकास एप्रोच के तत्वों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय क्षमता विकास ढांचा (एनसीबीएफ) के क्रियान्वयन में सहयोग करेगा। म.प्र. में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार तथा यूएन.डी.पी द्वारा महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जबलपुर में "स्थानीय स्व-शासन हेतु क्षमतावर्द्धन" परियोजना वर्ष 2009 में लागू की गयी है। इस परियोजना का कार्यकाल 04 वर्ष 06 माह का है जिसके अंतर्गत विभिन्न चरणों में इसे क्रियान्वित किया जायेगा। यह परियोजना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किये जा रहे क्षमता विकास कार्यों में तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

### सीडीएलजी परियोजना के उद्देश्य

- क्षमतावर्द्धन की रणनीतियों को सशक्त करना।
- नीतिगत शोध तथा नेटवर्क सपोर्ट।
- अच्छी कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान एवं समर्थन।
- सामुदायिक सशक्तिकरण एवं मोबिलाइजेशन।
- परियोजना प्रबंधन हेतु क्षमतावर्द्धन।

## परियोजना क्रियान्वयन संरचना

राष्ट्रीय स्तर पर डॉ. सुधीर कृष्णा (अतिरिक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, नई दिल्ली) सीडीएलजी परियोजना के राष्ट्रीय परियोजना संचालक हैं। श्री संजीव शर्मा (यूएनडीपी-नई दिल्ली) सीडीएलजी परियोजना के राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधक हैं। सीडीएलजी परियोजना के संचालन हेतु यूएनडीपी, नईदिल्ली एवं राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, द्वारा प्रत्येक राज्य में 4 सदस्यों की टीम का गठन किया गया, जिसमें 1 राज्य परियोजना समन्वयक तथा 3 तकनीकी सहायता अधिकारी शामिल हैं।



मध्यप्रदेश के संदर्भ में :

म.प्र. में सीडीएलजी परियोजना के संचालन हेतु प्रमुख सचिव (राज्य परियोजना संचालक-सीडीएलजी परियोजना) के सहयोग हेतु श्री बीनू चतुर्वेदी को राज्य परियोजना समन्वयक एवं कु. शिल्पा नामदेव व श्रीमती नंदिनी देशपांडे को तकनीकी सहायता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में तकनीकी सहायता अधिकारी का एक पद रिक्त है।

परियोजना की गतिविधियों का समय-समय पर मूल्यांकन करने एवं संबंधित दिशा निर्देश देने हेतु राज्य स्तरीय परियोजना परिचालन समिति बनाई गई है जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं :-

- प्रमुख सचिव, पंचायतराज विभाग – चेयरपर्सन (अध्यक्ष)
- प्रमुख सचिव, /सचिव, ग्रामीण विकास – सदस्य
- प्रमुख सचिव, /सचिव, शहरी विकास – सदस्य
- प्रमुख सचिव, योजना विभाग
- महानिदेशक /संचालक, एसआईआरडी –सदस्य
- डायरेक्टर जनरल, एटीआई
- हेड- अन्य संबंधित विभाग / एजेंसी
- किसी प्रमुख सिविल सोसायटी का व्यक्ति
- राज्य परियोजना समन्वयक – कनवेनर

राज्य स्तरीय परियोजना समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में होती है।

## वर्ष 2009 में सीडीएलजी परियोजना के अंतर्गत आयोजित की गई गतिविधियां

1. सर्वप्रथम रिव्यू ऑफ प्रीवियस टीएनए एंड टू फाईंड इट्स न्यू एप्रोचेस विषय पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गयी है। इस कार्यशाला में टीएनए के तरीकों पर चर्चा की गयी जिसमें से स्टेकहोल्डर एनालिसिस तथा जॉब टास्क एनालिसिस विधियों के आधार पर टीएनए करना सुनिश्चित किया गया ।
2. जिला/जनपद/ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आंकलन विषय पर कार्यशाला आयोजित की गयी ।
3. खण्डवा जिला पंचायत में जिला/जनपद/ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आंकलन विषय पर कार्यशाला आयोजित की गयी । इस कार्यशाला का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करना था ।
4. पंचायत प्रतिनिधियों तथा पंचायत कर्मियों हेतु दीनदयाल शोध संस्थान, चित्रकूट में एक्सपोजर विजिट आयोजित की गयी । इस कार्यक्रम के अंतर्गत मंझगवां जनपद जिला सतना की पंचायतों तथा चित्रकूट संस्थान द्वारा किये जा रहे कार्यों का अवलोकन किया गया ।
5. पंचायत प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के हेतु मॉड्यूल विकास विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य वर्तमान में उपयोग किये जा रहे मॉड्यूल में प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन लाना तथा उसे और अधिक उपयोगी बनाना है ।
6. आरसेटी कार्यशाला का आयोजन किया गया ।
7. श्री श्याम बोहरे की नियुक्ति परियोजना परामर्शदाता के रूप में की गई ।
8. प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण कराया गया।

## सीडीएलजी परियोजना का वित्तीय विवरण

क्र.	विवरण	राशि
1	वर्ष 2009 में प्राप्त कुल राशि	रु. 28 लाख
2	31 दिसंबर 2009 तक कुल व्यय	रु. 11,10,805 /—

## CDLG Project: Status Report

S. No.	Title of the Activity	Time Duration	Place	Participants	No. of Participants	Output	Expenditure
1	Workshop on Review of Previous TNA & to Find New Approaches	01-03 September 2009.	SIRD, Jabalpur	Retired Government Officers & NGO Members	30	1. Job Task Analysis 2. Stake Holder Analysis	Rs. 1,28,270/-
2	Workshop on Training Need Assessment of PRI Members	04-06 November 2009	SIRD, Jabalpur	GP/JP/ZP Representatives & Functionaries and NGO Members	42	Analyzed Training Needs using these 2 approaches: 1.) Job Task Analysis, 2.) Stake Holder Analysis	Rs. 1,83,155/-
3	Workshop on Training Need Assessment of PRI Members	11-12 November 2009	Zila Panchayat, Khandwa	GP/JP/ZP Representatives & Functionaries and NGO Members	116	Analyzed Training Needs using these 2 approaches; 1.) Job Task Analysis, 2.) Stake Holder Analysis	Rs. 2,15,644/-
4	Exposure visit of PRI representatives to Deendayal Research Institute, Chitrakoot	15-19 December 2009	DRI, Chitrakoot	GP/JP/ZP Representatives & Functionaries and NGO Members	44	1.) Participants have seen the best practices in 4 villages of M.P. & U.P. 2.) Some of them have contributed in Module Development Workshop	Rs. 2,45,080/-
5	Workshop on Management of Rural Development & Self Employment Training Institute (RSETI)	18-20 December 09	SIRD, Jabalpur	APO, SGSY & Bankers	58	Enhanced the capacity of the APO & Bankers	Rs. 1,00,444/-
6	Workshop on Module Development for PRI Members	22-24 December 2009	SIRD, Jabalpur	Retired Government Official, GP/JP/ZP Representatives & Functionaries, NGO Members, Faculties (SIRD)	37	1.) Developed the Module of ZP President/ Vice-President/ Members 2.) Developed the Module of JP President/ Vice-President/ Members 3.) Developed the Module of GP Sarpanch/ Up-Sarpanch/Panch/ Secretary	Rs. 1,24,395/-
7	Appointing of Consultants for CDLG project	The following consultants have been appointed under the Project: 1. Mr. Shyam Bohre					
8	Printing of Reading Materials for Trainers	upto December 2009	3490 books were printed				Rs. 91,000/-
9	Administrative Expenses	upto December 2009					Rs. 22,817/-
<b>Total</b>							<b>Rs. 11,10,805/-</b>

### The outcomes of the various activities together (if we club them) are:

1. Training material and reference material has been developed for the TOTs and for various levels of PRIs.
2. Micro plan of the training upto village level prepared which is the base of the training.

## गतिविधि क. 1

शीर्षक	“रिव्यू ऑफ प्रीवियस टीएनए (ट्रेनिंग नीड एनालिसिस) एंड टू फाईंड इट्स न्यू एप्रोचेस – कार्यशाला”
दिनांक	01–03 सितंबर 2009
स्थान	महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, अधारताल, जबलपुर
सहभागी संख्या	30

### कार्यशाला के उद्देश्य

- पूर्व में हुए क्षमता विकास से संबंधित विभिन्न टीएनए का पुनरावलोकन तथा भविष्य में किये जाने वाले टीएनए हेतु न्यू एप्रोचेस तैयार करने का काम किया जाना ।
- पंचायत प्रतिनिधियों, महिला प्रतिनिधियों, सीमान्त वर्ग (अनूसूचित जाति/जनजाति) के प्रतिनिधियों, ग्राम पंचायत के सचिवों के प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं (टीएनए) पर चर्चा करना ।
- प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता के आंकलन से संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा करना ।
- जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं (टीएनए) पर चर्चा करना ।

### कार्यशाला का सारांश

इस कार्यशाला में दो स्रोत व्यक्तियों के अलावा 28 सहभागी उपस्थित थे, जो कि विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों से संबंधित होने के साथ-साथ विषय-विशेषज्ञ एवं अनुभवी थे । संस्थान की ओर से 10 सदस्य कार्यशाला में उपस्थित हुये । संपूर्ण कार्यशाला का संचालन श्री संजय राजपूत, संकाय सदस्य (महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान) ने कार्यशाला के लिये विशेष रूप से आमंत्रित स्रोत व्यक्तियों डॉ. ए.के. सिंह, भोपाल एवं श्री श्याम बोहरे (भोपाल) जी के मार्गदर्शन में कुशलता पूर्वक किया । श्री संजय राजपूत ने कार्यशाला में उपस्थित सभी सदस्यों का परिचय दिया एवं सीडीएलजी परियोजना की टी.एस.ओ कु. शिल्पा नामदेव एवं श्रीमती नंदिनी देशपांडे ने सभी सदस्यों का स्वागत किया । स्वागत सत्र के बाद श्री संजीव शर्मा राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधक सीडीएलजी (नई दिल्ली) ने पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया । इस प्रजेन्टेशन में उन्होंने उपस्थित सभी सदस्यों को “स्वशासन का क्षमता विकास (सीडीएलजी)” परियोजना के बारे में बताया । कार्यशाला के उद्देश्य एवं परिणामों की व्याख्या करते हुये श्री संजय राजपूत जी ने पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया । कुछ समूह बनाये गये जिन्हें पंचायत की त्रिस्तरीय संरचना के अंतर्गत कार्यरत प्रतिनिधियों शासकीय कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को जानने हेतु उत्तम विधि के निर्धारण का कार्य सौंपा गया । सदस्यों के आपसी विचार विमर्श के बाद उपस्थित सभी सदस्यों ने स्वशासन से संबंधित जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों की भूमिका, कार्यप्रणाली, उत्तरदायित्व की जानकारी एवं इससे संबंधित प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए अपना-अपना अनुभव सभी के साथ बांटा ।

कार्यशाला के दूसरे दिन श्री श्याम बोहरे जी ने प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को जानने की कुछ विधियों से सभी सहभागियों को अवगत कराया । उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार करने के पहले प्रशिक्षणार्थियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को जानना चाहिये एवं उसमें प्रशिक्षणार्थियों की समस्याओं के समाधानों का भी समावेश होना चाहिये । श्री बोहरे जी ने ‘ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि सरपंच की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को कैसे ज्ञात किया जायें’ यह उदाहरण के माध्यम से समझाया । श्री श्याम बोहरे जी

ने यह बताया कि जनपद एवं जिला पंचायत के लिये एक जैसा प्रशिक्षण दिया जा सकता है, लेकिन ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के लिये पृथक प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिये। कार्यशाला के दूसरे सत्र में सभी सहभागियों ने अपने-अपने समूह के सदस्यों के साथ बैठकर निम्न लिखित विषयों पर प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं पर चर्चा करते हुये कुछ बिन्दु तैयार किये :-

- शासकीय/अशासकीय प्रशिक्षण संस्थाओं का क्षमता आंकलन
- शासकीय अमला पंचायत से संबंधित प्रतिनिधियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का आंकलन
- जिला/जनपद/ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का आंकलन

(महिला/पुरुष/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग)

समूह 1, 2, व 3, के द्वारा पिलप चार्ट के माध्यम से विषय आधारित प्रजेंटेशन दिया गया। इस प्रजेंटेशन पर सभी समूह अपनी-अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कुछ विशेषताओं एवं कमियों को सामने लाये। कार्यशाला के स्रोत व्यक्तियों डॉ. ए.के. सिंह एवं श्री श्याम बोहरे जी ने तीनों समूहों को प्रजेंटेशन में सुझाये गये विषय-आधारित बिन्दुओं में अपेक्षित सुधार करके अगले दिन पुनः प्रस्तुत करने कहा। सभी समूहों के सदस्यों ने अपेक्षित सुधार करते हुए पिलप चार्ट में विषय आधारित बिन्दुओं को पुनः व्यवस्थित किया और पुनः प्रजेंटेशन दिया। सभी समूहों का प्रजेंटेशन होने के बाद कार्यशाला में उपस्थित कुछ वरिष्ठ सहभागियों ने कार्यशाला के आयोजन पर अपना आभार व्यक्त करते हुये धन्यवाद एवं शुभकामनायें प्रेषित की।

कार्यशाला के परिणाम

- कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को जानने हेतु दो तकनीकों का निर्धारण किया गया जो निम्नलिखित है :-
  1. स्टेकहोल्डर एनालिसिस
  2. जॉब टास्क एनालिसिस
- पूर्व में किये गये टीएनए पर हुये प्रयासों का संकलन किया गया।
- इनके माध्यम से निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों हेतु उपयुक्त प्रशिक्षण माड्यूल विकसित करने में मदद मिलेगी।

कार्यशाला का समापन

कार्यशाला के समापन सत्र में सभी सहभागियों की कार्यशाला का प्रमाणपत्र, सहभागियों की सूची एवं समूह का छायाचित्र प्रदान किया गया एवं कार्यशाला का समापन किया।

## गतिविधि क. 2

शीर्षक	“पंचायत प्रतिनिधियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के आंकलन”
दिनांक	4-6 नवंबर 2009
स्थान	महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, अधारताल, जबलपुर
सहभागी संख्या	42

इस कार्यशाला में पंचायत के तीनों स्तरों के प्रतिनिधि/क्रियान्वयक, गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि/सदस्य, समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के तथा महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के अधिकारीगण एवं संकाय सदस्य शामिल थे ।

### कार्यशाला के उद्देश्य

पंचायत के तीनों स्तर के प्रतिनिधियों की प्रशिक्षण से संबंधित आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करना था, जिसके आधार पर भविष्य में जो प्रशिक्षण सामग्री एवं पाठ्य सामग्री विकसित की जाये वह पंचायत प्रतिनिधियों को उनके कार्यक्षेत्र में प्रभावी एवं सक्रिय मार्गदर्शन प्रदान करने में सहायक हो ।

### कार्यविधि

1. प्रतिभागियों का आकलन विधि (स्टेक होल्डर एनालिसिस)
2. कार्य आकलन विधि (जॉब टास्क एनालिसिस)

उपरोक्त दोनों विधियों के आधार पर पंचायत प्रतिनिधियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को जानने के लिये कार्यशाला में उपस्थित सहभागियों के चार समूह बनाये गये एवं प्रत्येक समूह को पहले प्रतिभागियों का आकलन विधि का उपयोग करते हुए क्रमशः पंच, सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के आकलन का कार्य सौंपा गया एवं जनपद में दूसरी विधि कार्य आकलन का उपयोग करते हुए सरपंच, पंच, जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करने का कार्य सौंपा गया। उपरोक्त दोनों विधियों के अनुसार समूहों ने आपसी चर्चा कर प्रस्तुतीकरण तैयार किया एवं सभी सहभागियों के समक्ष उसे प्रस्तुत किया । कार्यशाला में स्त्रोत व्यक्ति के रूप में उपस्थित श्री श्याम बोहरे एवं डा. ए.के.सिंह ने आवश्यकता के अनुरूप इन प्रस्तुतीकरणों में आवश्यक संशोधन कराकर अंतिम रूप प्रदान किया ।

### कार्यक्रम के परिणाम

कार्य आंकलन व प्रतिभागी आंकलन विधि द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सरपंच एवं पंच की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का आंकलन किया गया ।

### कार्यशाला का समापन

कार्यक्रम के अंत में समस्त सहभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये ।

### गतिविधि क. 3

शीर्षक	“पंचायतराज प्रतिनिधियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का आंकलन”
दिनांक	11-12 नवंबर 2009
स्थान	जिला पंचायत, खण्डवा
सहभागी संख्या	116

इस कार्यशाला में पंच, सरपंच, उपसरपंच एवं सचिव, जनपद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एवं सदस्य, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य, जिला तथा जनपद पंचायत के शासकीय अधिकारी/कर्मचारी, गैरसरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि/सदस्य, संकाय सदस्य, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान तथा सी.डी.एल.जी. परियोजना के राज्य परियोजना समन्वयक एवं तकनीकी सहायता अधिकारी शामिल थे ।

#### कार्यशाला के उद्देश्य

कार्यशाला का उद्देश्य पंचायत के तीनों स्तर के प्रतिनिधियों की प्रशिक्षण से संबंधित आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करना था, जिसके आधार पर भविष्य में जो प्रशिक्षण सामग्री एवं पाठ्य सामग्री विकसित की जाये वह पंचायत प्रतिनिधियों को उनके कार्यक्षेत्र में प्रभावी एवं सक्रिय मार्गदर्शन प्रदान करने में सहायक हो

#### कार्यशाला का सारांश

कार्यशाला का शुभारंभ श्रीमती वीणा घाणेकर (आयुक्त, पंचायतराज), श्री अमिताभ सिरवैया (संयुक्त आयुक्त, पंचायतराज), एवं श्री आलोक सिंह (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) खण्डवा, द्वारा किया गया। श्री संजय राजपूत, संकाय सदस्य – महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जबलपुर ने कार्यशाला के प्रमुख उद्देश्य बताते हुए एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया। इसके बाद कार्यशाला में स्त्रोत व्यक्ति के रूप में उपस्थित श्री श्याम बोहरे (सलाहकार,सीडीएलजी परियोजना) ने सभी प्रतिभागियों को यह बताया कि यह एक बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत कम ही प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का आंकलन किया गया है। पंचायतराज विभाग का यह प्रशंसनीय प्रयास है। इसके पश्चात् उन्होंने प्रशिक्षण से संबंधित आवश्यकताओं के आंकलन की दोनों विधियाँ : 1- स्टेक होल्डर एनालिसिस एवं 2- जाब टास्क एनालिसिस से सभी को अवगत कराया। इसके पश्चात् श्रीमती वीणा घाणेकर ने 73वें संविधान संशोधन पर चर्चा करते हुए कहा कि स्वशासन पहले की अपेक्षा अब थोड़ा बहुत विकसित हुआ है। उन्होंने पंचायत के तीनों स्तर पर 50 प्रतिशत महिला आरक्षण से संबंधित एक्ट के बारे में सभी को बताया। उन्होंने पंचायतराज प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण बताया। श्रीमति राजकुंवर नीरज (अध्यक्ष, जिला पंचायत खण्डवा) ने बताया कि अब जबकि 50 प्रतिशत महिला आरक्षण हो गया है तथा महिलाएँ निर्वाचित होकर पंचायत में आ रही हैं तो जिस कुशलता से वह अपने घर का संचालन कर रही हैं, उसी प्रकार उन्हें ग्राम/जनपद/जिला पंचायत के विकास पर ध्यान देना चाहिये। श्री श्याम बोहरे ने सभी उपस्थित प्रतिभागियों को आठ समूहों में विभाजित किया एवं उन्हें क्रमशः महिला सरपंच, जनपद सदस्य, पंच, सामाजिक अंकेक्षण, अध्यक्ष-जनपद पंचायत, अध्यक्ष- जिला पंचायत, सरपंच एवं ग्राम सभा से संबंधित प्रशिक्षण आवश्यकताओं के आंकलन का कार्य सौंपा और प्रस्तुतीकरण देने कहा।

कार्यशाला के परिणाम

पंचायतराज प्रतिनिधियों सरपंच – महिला, जनपद सदस्य, पंच, अध्यक्ष – जनपद पंचायत, अध्यक्ष – जिला पंचायत, सरपंच एवं सामाजिक अंकेक्षण व ग्राम सभा की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का आंकलन किया गया ।

कार्यशाला का समापन

कार्यक्रम के अंत में समस्त सहभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये।

## गतिविधि क. 4

शीर्षक	“पंचायत प्रतिनिधि/सदस्य/पदाधिकारी/स्वयंसेवी संस्था के सदस्यों का शैक्षणिक भ्रमण”
दिनांक	15-19 दिसंबर 2009
स्थान	दीनदयाल शोध संस्थान, चित्रकूट
सहभागी संख्या	44

इस भ्रमण कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के चार जिलों (जबलपुर, बालाघाट, मण्डला एवं हरदा) की विभिन्न ग्राम पंचायतों से आये हुए पंचायत प्रतिनिधि/सदस्य/पदाधिकारी/स्वयंसेवी संस्था के सदस्य तथा महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के संकाय सदस्य आदि शामिल थे।

### कार्यशाला के उद्देश्य

- पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत कर्मियों व स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों को एक साथ लाना एवं व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना;
- भविष्य में पंचायत प्रतिनिधि, शासकीय क्रियान्वयक एवं स्वयंसेवी संस्थायें मिलकर पंचायतों में प्रभावी रूप से विकास के कार्य कर सकें;
- भ्रमण कार्यक्रम के तहत अनुभवों एवं दूसरे के कार्यों से सीख और प्रेरणा मिलना ताकि वे सहभागी स्वयं के प्रयास से आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के लिए योजना बना सकें

### कार्यशाला का सारांश

पंचायतराज व्यवस्था लागू होने के बाद इन संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही हैं। पंचायत प्रशिक्षणों के अनुभवों से समझ में आया कि स्वयं किसी गतिविधि या उदाहरण को करके या देखकर सीखने की प्रक्रिया को ज्यादा बल मिलता है। विकास व सुशासन के संदर्भ में भी दूसरों द्वारा किये गये कार्यों व अच्छे उदाहरणों, केस स्टडी से ज्यादा व्यापक समझ बनती है। जब पंचायत प्रतिनिधि एवं शासकीय क्रियान्वयक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का एक साझा मंच मिलता है तो उससे इन सीखों का बेहतर व परिणामदायक असर होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं में न केवल आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि अपने दायित्व को निभाने के उत्साह में वृद्धि होती है एवं प्रेरणा मिलती है। यह भी समझ बनती है कि किसी समस्या का निराकरण किस तरीके से हम कर सकते हैं। परियोजना के तहत पंचायतराज संस्थाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप देने के लिए कुछ गतिविधियां नियोजित की गयी हैं जिसके तहत पांच दिवसीय शैक्षणिक यात्रा का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में पंचायत प्रतिनिधियों/पदाधिकारियों हेतु पांच दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम की योजना बनायी गयी। इस योजना में चित्रकूट के दीनदयाल शोध संस्थान ने सहयोग किया। दीन दयाल शोध संस्थान, चित्रकूट विकास से जुड़ी कई गतिविधियों में संलग्न है। साथ ही यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश से लगे होने के कारण मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ उत्तरप्रदेश के भी ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय रूप से विकास कार्य कर रहा है। इसी कारण इसे शैक्षणिक भ्रमण के लिए चुना गया जिससे कि एक ही जगह पंचायत द्वारा किये गये कई कार्यक्रमों व गतिविधियों का अनुभव मिलेगा व साथ ही उत्तर प्रदेश में पंचायतों के प्रभावी तरीके से किये गये कार्यों को देखा जा सकेगा।

क्षेत्र में विकास का काम करने का उत्साह लेकर लौटा। भ्रमण के दौरान जो मुख्य बातें उभरकर आयीं, वे

निम्न हैं –

- भ्रमण दल ने दीन दयाल शोध संस्थान में गोवंश विकास, जैविक खाद एवं कीटनाशक, हरे चारे के उत्पादन की प्रक्रिया को समझा और इसे अपने क्षेत्र में फैलाने के तरीकों पर चर्चा की।
- कम लागत में स्थानीय पौधों एवं औषधियों से उपचार के तरीकों को भ्रमण दल ने बारीकी से सीखा एवं समझा और इसके उपयोग के गुर सीखे।
- गांव स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने के तरीकों को भी भ्रमण दल ने समझा और दीन दयाल शोध संस्थान के विशेषज्ञों से चर्चा की। दल ने बेकरी ईकाई, मसाला, आटा एवं दलिया, फल एवं सब्जी परिरक्षण, स्क्रीन प्रिंटिंग, सरसों तेल, कवेलू निर्माण इकाई आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की।
- भ्रमण दल ने न केवल दीन दयाल शोध संस्थान केम्पस की गतिविधियों को जाना बल्कि उनके द्वारा गांवों में पंचायतों के साथ मिलकर सामुदायिक स्तर पर किये जा रहे प्रयासों को भी देखा। सतना जिले की पिंडरा माडल पंचायत में जाकर खेती, विकास कार्यक्रमों, स्वनिर्भरता के प्रयासों आदि को देखकर प्रेरणा ली।
- मध्यप्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के कर्वी जिले की काल्या पंचायत का भी भ्रमण किया गया एवं वहां खेती एवं पशुपालन के साथ ही पंचायत द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यक्रमों को देखा।

कार्यक्रम के परिणाम

- भ्रमण दल ने चित्रकूट में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम कर रहे दीनदयाल शोध संस्थान की गतिविधियों को जाना एवं मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश की ग्राम पंचायतों में हो रहे सराहनीय प्रयासों एवं कामों को देखा। भ्रमण दल मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश की पंचायतों में गया और वहां दीनदयाल शोध संस्थान के द्वारा किये गये स्वयंसेवी प्रयासों को न केवल जाना बल्कि उससे प्रेरणा लेकर अपने क्षेत्र में विकास कार्य करने का उत्साह लेकर लौटा।
- भ्रमण दल के कुछ सहभागियों ने मॉड्यूल विकास कार्यशाला में भी योगदान दिया।

कार्यक्रम का समापन

कार्यक्रम के अंत में समस्त सहभागियों को समूह छायाचित्र वितरित किये गये।

## गतिविधि क्र. 5

शीर्षक	“रूडसेटी कार्यशाला”
दिनांक	18 –20 दिसंबर 2009
स्थान	महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, अधारताल, जबलपुर
सहभागी संख्या	58

कार्यशाला के उद्देश्य

रूडसेटी की कार्यप्रणाली से सभी सहभागियों को अवगत कराना ।

कार्यशाला का सारांश

सीडीएलजी परियोजना के अंतर्गत रूडसेटी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के जिला स्तर के सहायक परियोजना अधिकारी एवं बैंकर्स को रूडसेटी की कार्यप्रणाली की जानकारी देना था । इस कार्यशाला में स्रोत व्यक्ति के रूप में श्री जर्नादन (संचालक रूडसेटी) को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने सभी सहभागियों को रूडसेटी की स्थापना, उद्देश्य, रणनीति, गतिविधि, कार्यप्रणाली एवं इससे प्राप्त परिणामों से सभी को अवगत कराया । इस कार्यशाला का आयोजन संस्थान में दो बार किया गया । कार्यशाला के प्रथम दिन उद्घाटन सत्र के बाद संचालक, ग्रामीण रोजगार एवं प्रभारी एसजीएसवाय द्वारा कार्यशाला के पृष्ठभूमि एवं शासन के अपेक्षाएं विषय पर चर्चा की गई । इसके पश्चात् आरसेटी कार्यशाला में स्रोत व्यक्ति के रूप में आमंत्रित श्री जर्नादन (कार्यपालन निदेशक), रूडसेटी, उजरे, मंगलोर) द्वारा सुक्ष्म परीक्षण किया गया । श्री जर्नादन ने कम्प्यूनिक्शन स्कूल पर अपना प्रस्तुतीकरण दिया । इसके पश्चात् सभी सहभागियों को व्यावहारिक खेल खिलाया गया जो श्री जर्नादन एवं कार्यशाला के अन्य स्रोत व्यक्ति श्री चंद्रमोहनदास द्वारा आयोजित किया गया । कार्यशाला के दूसरे दिन “आरसेटी प्रबंधन” विषय पर श्री जर्नादन ने अपना प्रस्तुतीकरण दिया तथा प्रशिक्षण पूर्व, प्रशिक्षण के दौरान एवं प्रशिक्षण पश्चात् की प्रक्रिया को समझाया । उन्होंने सफल उद्यमी सक्षतायें बताईं एवं सभी सहभागियों हेतु एक और व्यावहारिक खेल आयोजित किया । कार्यशाला के अंतिम दिन आरसेटी एवं एसजीएसवाय विषय पर श्री आर परशुराम, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल ने सभी सहभागियों को संबोधित किया ।

कार्यशाला के परिणाम

उपस्थित सभी सहभागियों रूडसेटी की कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त की एवं उसमें अपनी भूमिका निर्वहन करते हुए योगदान देने के लिए सहमति प्रदान की ।

कार्यशाला का समापन

तत्पश्चात् श्री चंद्रमोहनदास (निदेशक आरसेटी, भोपाल) ने आरसेटी का कोर्स माड्यूल सभी सहभागियों को बताया । उसके बाद प्रशिक्षण की समीक्षा की गई तथा कार्यशाला का समापन किया गया ।

## गतिविधि क्र. 6

शीर्षक	“पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु मॉड्यूल विकास कार्यशाला”
दिनांक	22 से 24 दिसंबर 2009 तक
स्थान	महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, अधारताल, जबलपुर
सहभागी संख्या	37
कार्यशाला के उद्देश्य	

पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध मॉड्यूल में संशोधन कर मॉड्यूल विकसित करना।

### कार्यशाला का सारांश

इस कार्यशाला में वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत प्रशिक्षण के कार्य में अनुभवी गैर सरकारी संगठन के स्रोत व्यक्तियों, जिला पंचायत व क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारियों और संस्थान के संकाय सदस्यों द्वारा मॉड्यूल का विकास किया गया। संदर्भित कार्यशाला के प्रथम दिवस पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता व इसके लक्ष्यों पर विचार किया गया। सहभागियों के समूह कार्य के माध्यम से प्रशिक्षण लक्ष्यों का विकास किया तत्पश्चात् प्रभावी प्रशिक्षण एवं पंचायती राज में प्रभावी प्रशिक्षण के महत्व पर भी विचार विमर्श किया गया। द्वितीय दिवस प्रशिक्षण पद्यतियों व प्रशिक्षण की सीमाओं के संबंध में चर्चा की जाकर समूह वार पंचायत प्रतिनिधियों यथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिला पंचायत, सदस्य जिला पंचायत, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जनपद पंचायत, सदस्य जनपद पंचायत, सरपंच/उपसरपंच, पंच एवं पंचायत सचिव के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया। लगभग 4 सत्रों की चर्चा के पश्चात् तृतीय दिवस मॉड्यूल को अंतिम रूप दिया जा सका। प्रशिक्षण मॉड्यूल में प्रशिक्षण लक्ष्यों के अनुसार विषय वस्तु एवं अनुमानित समय का उल्लेख किया गया है। तृतीय दिवस में प्रशिक्षक हेतु सामग्री भी तैयार की गई। प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने के पश्चात् प्रशिक्षण सामग्री तैयार की जावेगी। जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रशिक्षण मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी भोपाल द्वारा, जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य का प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जबलपुर में व सरपंच एवं पंच का प्रशिक्षण जिला/विकास खंड मुख्यालय पर प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में पंचायतों की जिम्मेवारी में नवीन कार्यात्मक, प्रशासनिक व विधिक प्रकृति के नवीन कार्यदायित्वों जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम/योजना का क्रियान्वयन, सूचना का अधिकार के तहत लोक सूचना अधिकारी का दायित्व आदि जुड़े हैं। उपरोक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम व पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग संचालित स्थानीय स्वशासन के लिए क्षमता विकास परियोजना के तहत प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन के पश्चात् मॉड्यूल विकास का कार्य किया गया।

### कार्यशाला के परिणाम

पंचायत प्रतिनिधियों यथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिला पंचायत, सदस्य जिला पंचायत, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जनपद पंचायत, सदस्य जनपद पंचायत, सरपंच/उपसरपंच, पंच एवं पंचायत सचिव के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया।

### कार्यशाला का समापन

कार्यक्रम के अंत में समस्त सहभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये।

परियोजना के अंतर्गत परामर्शदाताओं की नियुक्ति सीडीएलजी परियोजना के अंतर्गत परामर्शदाता की नियुक्ति की गई, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

- श्री श्याम बोहरे – विगत 40 वर्षों से पंचायत एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र में कार्यरत हैं । श्री श्याम बोहरे जी विशेष रूप से ग्रामीण स्तर पर लोगों के साथ, पंचायतराज को सशक्त करने में योगदान दे रहे हैं।

परियोजना के विशिष्ट एवं स्रोत व्यक्ति

- श्री के.एन.जनार्दन, कार्यकारी निदेशक – रूरल डेव्हलपमेंट एण्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (RUDSETI), उजरै, कर्नाटक, श्री के.एन. जनार्दन ग्रामीण बेरोजगारों को इस संस्थान के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण के द्वारा स्व-रोजगार स्थापित करने की दिशा में कार्यरत है तथा इस संस्थान को इस दिशा में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त हुयी हैं। मध्यप्रदेश में इसी प्रकार के संस्थान की स्थापना की गयी है जिसमें कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के क्षमता विकास हेतु श्री के.एन. जनार्दन जी को आमंत्रित किया गया था।

परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण सामग्री का मुद्रण

- प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु 'पंचायतराज अवधारणा' तथा 'प्रशिक्षण एवं तकनीक कौशल' नामक पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण कराया गया।

परिशिष्ट क. 1  
वार्षिक कार्ययोजना  
2009—10

**GoI-UNDP-CDLG Project: Work Plan up March 2010**

AWP Component s	Proposed activities	Methodology	Time Frame 2009			2010			Plan budget (lakh)	Activity Status	
			Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar			
<b>Component 1: Strengthening State-specific Capacity Development Strategies</b>	1.11: Capacity and training needs assessment at PRI level	Through 02 TNA workshops in different region of MPTNA for PRI members of GP,JP and ZP							4.00		
	1.12: Advisory services to PR Departments for state Capacity Development Strategy	Preparation of <b>State Capacity Development Strategy</b> and a comprehensive <b>State-specific Perspective Plan to deliver PRI Related Training</b>							1.80	Completed	
	1.13: Support to state governments in developing, adapting, updating and publishing training material for PRI capacity development and for creating a pool of qualified PRI trainers	workshop to review of Training Modules of all levels and to develop the indicators for social audit of the Gram Sabhas								1.00	completed
		Identifying resource person/institutions/NGOs for master trainers & Trainers									Completed
		Preparing Micro Plan for Training of TOTs and PRI members									completed
		Compilation of training material and various scheme for the rural development as a reference material								1.50	completed
	Hiring of short term consultant for Bhopal and for SIRD Jabalpur	Two consultant on short term as approved by NPSC							2.00	completed	
	Hiring of Resource person for short term for 6ETCs upto March 2010	Norms of hiring to be decide by PSC @ Rs 16000/-pm								Activity releated to BRGF	
<b>Component 2: Policy, research and network support</b>	Updation of Rights and power assigned to the PRI by various other 23 line departments	updation of the data through meeting with deparat head and with PSs							1.00	activity completed	
	Workshop of Expert consultancy on Social Audit	Workshop								activity completed with NREGS funds	
	Sharing of Govt. welfare Schemes (development of IEC material)	Compilation of line department reference material for resource centers through workshop/meetings/events								Activity completed	
<b>Component 3: Advocacy and</b>	Identification & sharing of good practices	Through shorts films,TV & Radio programs,exposure visits								BRGF activity	

sharing of good practices	Management of RSETI (Rural development & Self Employment Training Institute) and formation & Development of SHG	capacity development of functionaries of JP & ZP in the field of skill development and entrepreneurship of unemployed youth							1.5	
	Exposure visit or Elected representatives from the backward districts	Exposure visit							2.45	activity completed
<b>Component 4: Community empowerment and mobilization</b>	organizing awareness camp through folk media/events and through organizing informative exhibitions particularly in the backward districts panchayats	Workshop for Preparation of TOR, identification of resources and frame work.								Activity deferred for next year
<b>Component 5: Project monitoring, evaluation and capacity development</b>	visit/monitoring of activities by SPC/NUNVs /Govt Officers	Activities monitored								
	Review meeting by State Project steering committee	Steering committee formed								
<b>Total value</b>									<b>15.25</b>	

परिशिष्ट क्र. 2  
छायाचित्र



रिव्यू ऑफ प्रीवियस टीएनए एंड टू फाईंड इट्स न्यू एप्रोचेस – कार्यशाला



पंचायतीराज प्रतिनिधियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का आंकलन कार्यशाला  
(महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जबलपुर)



पंचायतीराज प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का आंकलन कार्यशाला (जिला पंचायत खंडवा)



“पंचायत प्रतिनिधि/सदस्य/पदाधिकारी/स्वयंसेवी संस्था के सदस्यों का शैक्षणिक भ्रमण”  
दीनदयाल शोध संस्थान, चित्रकूट



आरसेटी कार्यशाला



मॉड्यूल विकास कार्यशाला